न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

आर0 एम0 पी0 वाद सं0–34/2011–12

71/2002

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी–बनाम–महेन्द्र सिंह

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03

यह वाद विज्ञ उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय से सुनवाई एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है। यह वाद अंचल–पाकुड़ के मौजा–खपड़ाजोला के दाग सं0–178 अन्तर्गत रकवा–00–05–09धूर जमीन का विपक्षी महेन्द्र सिंह, पाकुड़, जिला–पाकुड़ के नाम राजस्व पंजी–II में कायम जमाबंदी को विलोपित करने हेतु विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के स्था0 रा0 वि0 वाद सं0–85/1998– 1999 प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक–24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा उक्त भूमि की पंजी–II में कायम जमाबंदी को विलोपित करने हेतु भेजा गया।

उक्त वाद में विपक्षी को कई बार नोटिश निर्गत किया गया, परन्तु न तो वे स्वयं उपस्थित हुए और न ही अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम् से उपस्थित होकर इस वाद में पैरवी की गई ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी को वाद में कोई अभिरूची नहीं है। वाद में विपक्षी की लगातार अनुपस्थिति एवं कोई जबाब प्राप्त नहीं होने के कारण वाद को और अधिक समय तक संचालित रखने का औचित्य नहीं है।

अतः वाद को आदेश पर रखा गया।

अभिलेख में उपलब्ध निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय द्वारा स्था0 रा0, वि0 वाद सं0–85/1998–99 में प्रश्नगत भूमि की प्रकृति अनावादी खाते की होने के कारण पंजी–II में विपक्षी के जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए पंजी–II अन्तर्गत कायम जमाबंदी को विलोपित करने का प्रस्ताव दिया गया है। भूमि Online खतियान में अनावादी खाते एवं लगान रसीद 2000 से स्थगित है। उक्त जमीन के संबध में विपक्षी द्वारा न तो निम्न न्यायालय में और न ही अपीलीय

न्यायालय में किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत किया है। इससे अनाबादी खाते की भूमि विपक्षी जमाबंदी पूर्ण रूपेण अवैध मालूम होती है। अतः मौजा–खपड़ाजोला के खाता सं0 29/31, दाग सं0–178 अन्तर्गत रकवा–00–05–09धूर जमीन का विपक्षी महेन्द्र सिंह, के नाम राजस्व पंजी–II में कायम जमाबंदी को रद्द किया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को ओदश दिया जाता है कि महेन्द्र सिंह के नाम पंजी–II में कायम जमाबंदी को विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि को सरकारी कब्जे में ले लिया जाय। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

11.2.23

अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

Swansi
11.2.23

अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by MANJU RANI SWANSI
Date: 2023.06.14 13:18:49 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:8d0:565a:3557:ab1f